From,

Maharani Din,
Deputy Registrar
High Court of Judicature at
Allahabad

Report (139)

To,

The District Judge
Jalaun at Orai.

No. 8688 / IV- 3461 / Admin (A) / Dated 21-5-2011

Subject: - Grant of permission to Sri Munna Prasad, Civil Judge (Junior Division), Jalaun to reside at Orai and to attend the Court daily at Jalaun.

Sir,

With reference to your letter no. 509 / I dated 15.06.2009 forwarding therewith the application dated 12.06.2009 of Sri Munna Prasad, Civil Judge (Junior Division), Jalaun on the above subject, I am directed to request you to submit your fresh report in the matter, as the same is desired by the Court.

Yours faithfully

Maharani Din
19.5.11

Deputy Registrar

D.R.(M)
Order dtd. 17.5.11 is placed below. May issue?
[signature]
19.5.11

[signature]
19-5-11
A.R.

प्रेषक,

ओम प्रकाश,एच. जे. एस.,
जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई ।

सेवा में,

श्रीमान्,महानिबन्धक,
माननीय,उच्च न्यायालय,उ0प्र0,
इलाहाबाद ।

पत्रांक:- 509/प्रथम दिनांक:- जून, 15 2009

विषय:- श्री मुन्ना प्रसाद सिविल जज {जू0डि0} वाहय स्थित न्यायालय, सिविल जज जू0डि0जालौन के मुख्यालय उरई से प्रतिदिन आने-जाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरांकित विषय पर निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन संख्या 1189/ए0आर0{एस.}/09 दिनांक 1.6.09 के अनुसार श्री मुन्ना प्रसाद ने वाहय स्थित न्यायालय सिविल जज जू0डि0 जालौन के न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर दिनांक 08.6.09 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है । सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्यालय उरई से वाहय स्थित न्यायालय जालौन प्रतिदिन आने-जाने की अनुमति हेतु इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है कि वर्तमान में जालौन में पीठासीन अधिकारी के निवास हेतु कोई राजकीय आवास उपलब्ध नहीं है एवं जालौन की उरई से मात्र 20 किलोमीटर दूरी है उन्होने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी आश्वस्त किया है कि उनके प्रतिदिन उरई से जालौन आने-जाने से न्यायिक कार्य बाधित नहीं होगा ।

उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित अधिकारी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.09 मूलरूप में माननीय न्यायालय के कृपापूर्ण विचारार्थ सादर अग्रसारित किया जा रहा है ।

भवदीय

{ओमप्रकाश}
जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई ।
15.6.09

संलग्नक:-
यथोपरि:-

जनपद न्यायाधीश
जालौन स्थान-उरई

प्रेषक – मुन्ना प्रसाद
सिविल जज (जू0डि0)
जालौन।

Request (139)

सेवा में,

माननीय महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
द्वारा – माननीय जनपद न्यायधीश
जालौन स्थान, उरई

विषय :– मुख्यालय उरई से तहसील जालौन प्रतिदिन आने जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं01189/ए0आर0(एस) /09 दिनांकित 01.06.09 के अनुसार मेरा स्थानांतरण बाहय स्थिति न्याया0 सिविल जज (जू0डि0) जालौन के पद पर हुआ है और तदानुसार मैंने दि0 08.06.09 को उपरोक्त न्याया0 में पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

तहसील जालौन में न्यायिक अधिकारी के लिये कोई राजकीय आवास उपलब्ध नहीं है जालौन एक छोटा कस्बा एवं अविकसित कस्बा है अशासकीय (प्राइवेट) आवास भी उपलब्ध होना दुर्लभ है।

चिकित्सा सुविधा भी संतोष जनक उपलब्ध नहीं है।

मुख्यालय उरई से तहसील जालौन की दूरी मात्र 20 कि0मी0 है व आने जाने के लिये मैं अपने निजी वाहन का प्रयोग करूंगा प्रतिदिन आने जाने से न्यायिक कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

प्रतिदिन आने जाने का मैं कोई यात्रा भत्ता नहीं लूँगा।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि मुझे उरई मुख्यालय से तहसील जालौन स्थित न्याया0 प्रतिदिन आने जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जावे।

सादर

भवदीय

(हस्ताक्षर) .../6/09
मुन्ना प्रसाद
सिविल जज (जू0डि0)
जालौन

प्रेषक — मुन्ना प्रसाद
सिविल जज (जू0डि0)
जालौन।

Request 189

सेवा में,

माननीय महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
द्वारा — माननीय जनपद न्यायधीश
जालौन स्थान, उरई

विषय :— **मुख्यालय उरई से तहसील जालौन प्रतिदिन आने जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं01189 / ए0आर0(एस) /09 दिनांकित 01.06.09 के अनुसार मेरा स्थानांतरण बाहय स्थिति न्याया0 सिविल जज (जू0डि0) जालौन के पद पर हुआ है और तदानुसार मैंने दि0 08.06.09 को उपरोक्त न्याया0 में पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

तहसील जालौन में न्यायिक अधिकारी के लिये कोई राजकीय आवास उपलब्ध नहीं है जालौन एक छोटा कस्बा एवं अविकसित कस्बा है अशासकीय (प्राइवेट) आवास भी उपलब्ध होना दुर्लभ है।

चिकित्सा सुविधा भी संतोष जनक उपलब्ध नहीं है।

मुख्यालय उरई से तहसील जालौन की दूरी मात्र 20 कि0मी0 है व आने जाने के लिये मैं अपने निजी वाहन का प्रयोग करूंगा प्रतिदिन आने जाने से न्यायिक कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

प्रतिदिन आने जाने का मैं कोई यात्रा भत्ता नहीं लूँगा।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि मुझे उरई मुख्यालय से तहसील जालौन स्थित न्याया0 प्रतिदिन आने जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जावे।

सादर

भवदीय

(signature) 10/6/09
मुन्ना प्रसाद
सिविल जज (जू0डि0)
जालौन

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.08 10:31:05 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad